(30)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
"An ISO 14001:2004 Company"
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
जिला- श्रीगंगानगर (राज.)-335804
Email: csfsogfisheries@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 14001:2004 Company"
CENTRALSTATEFARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar (Raj.)
Email: csf.suratgarh@indiaseeds.com
Phone:-01509-223873

पत्रक्र.-सीएसएफ/सूरतगढ़/कृषि-मछली-/2-185/2025-26/ दिनांक-14-10-2025

ई-निविदा अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **राष्ट्रीय बीज निगम मर्यादित, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)** के तीनों खंडों व बाग में स्थित कच्ची-पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व पकड़कर बेचने के कार्य हेतु ऑनलाइन माध्यम से ई-निविदा **21 दिवस** के लिए दिनांक **15-10-2025** से **04-11-2025** दोपहर **01:00 बजे** तक आमंत्रित की जा रही है जोकि दिनांक **04-11-2025** को दोपहर बाद **03:00 बजे** खोली जायेगी । निविदादाता को निविदा भरने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से निविदा फ़ॉर्म फीस 590/-रूपयें (Non-Refundable) व ठेके की कच्ची डिग्गी न.-1 की धरोहर धनराशि (EMD) 50,000/-रुपये (Refundable) (पचास हजार रूपये मात्र) तथा ठेके की कच्ची पक्की डिग्गी न.-2 से डिग्गी न.-13 तक की धरोहर धनराशि (EMD) 10,000/- (Refundable) प्रति कच्ची पक्की डिग्गी (No. Of Diggi X EMD Amount) की राशि **ऑनलाइन ई-निविदा पोर्टल** के माध्यम से एक मुश्त जमा करानी होगी । निविदादाता को निविदा की नियम-शर्ते व निविदा फ़ॉर्म निगम की वेब साइट www.indiaseeds.com पर जाकर प्राप्त/ डाउनलोड की जा सकती है । ऑनलाइन निविदा हेतु निविदादाता को हमारे ई-पोर्टल ://indiaseeds.enivida.com पर पंजीकृत होना अनिवार्य है । निविदादाता को अपने पैन कार्ड की फोटो प्रति व वर्तमान आवासीय पत्ते हेतु आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि निविदा फ़ॉर्म के साथ में ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है ।

वरिष्ठ उत्पादन अधिकारी
कृते फार्म प्रमुख

Scanned with OKEN Scanner

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

2. Bidders must provide the details of PAN Number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

3. Bidders must have a valid email id and mobile number.

4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/ SoQ /Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

Scanned with OKEN Scanner

13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

(27)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking- Miniratna company)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh

Technical Bid

Name Of Work:-E-Tender for Fish Catching & Selling from the Kacchi Pakki Diggi present in Block No. 1, 2, 3 & EPO of CSF Suratgarh

Tender Reference No:- CSF/SOG/AGRI-FISH/2-185/2025-26

Under the authority of Central State Farm, Suratgarh, District - Sriganganagar (Raj.) - 335804, the work of rearing and selling fish in the following raw-baked diggis referred to in the above tender is given for two years (2 years), the period of which will be till 30-06-2027 after the work order. The details of the raw-baked diggis to be given on contract are as follows.

Name Of Company/Bidder:-

S. No.	Description	Detail
1	Copy of Pan Card/ पैन कार्ड की प्रति	
2	Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
3	Copy of Firm Letter Head/ (If any) फर्म लेटर हेड की प्रति	
4	Details of EMD Deposite (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि का विवरण (रु.)	
5	Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
6	Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में वचनबद्धता	

I/We agree with all the terms and conditions as laid down by your Corporation.

Place:-
Date:-

Name & Signature of the tenderer with official stamp.

Scanned with OKEN Scanner

(26)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking- Miniratna company)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Central State Farm, Suratgarh

Financial Bid

Name Of Work:-E-Tender for Fish Catching & Selling from the Kacchi Pakki Diggi present in Block No. 1, 2, 3 & EPO of CSF Suratgarh

Tender Reference No:- CSF/SOG/AGRI-FISH/2-185/2025-26

Under the authority of Central State Farm, Suratgarh, District - Sriganganagar (Raj.) - 335804, the work of rearing and selling fish in the following raw-baked diggis referred to in the above tender is given **from the period of date of work order to the dated 30-06-2027.** The details of the raw-baked diggis to be given on contract are as follows.

Name Of Company/Bidder					
Diggi No.	**Type Of Diggi**	**Name of Block & Chak Number**	**Size of Diggi (Meter)**	**No. of Diggi**	**Rate amount to be paid by the tenderer to the farm (in Rs.) including all Taxes**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Kacchi Diggi	Block-1/ Chak 42-STG	250 X 250 X 4.50	1	
2	Kacchi Diggi	Block-2/ Chak 4-RPM	100 X 100 X 2.75	1	
3	Kacchi Diggi	Block-2/ Chak 4-RPM	100 X 100 X 2.75	1	
4	Kacchi Diggi	Block-2/ Chak 3-RPM (Politeen)	100 X 100 X 2.75	1	
5	Pakki Diggi	Block-3/ EPO- Bagh	52 X 42 X 4.50	1	
6	Pakki Diggi	Block-3/ EPO- Bagh	50 X 38 X 3.50	1	
7	Pakki Diggi	Block-3/ Chak 5-SGM	48 X 48 X 4.50	1	
8	Pakki Diggi	Block-3/ Chak 5-SGM	100 X 50 X 4.50	1	
9	Pakki Diggi	Block-3/ Chak 4-SGM	50 X 50 X 4.50	1	
10	Pakki Diggi	Block-3/ Chak 4-SGM	48 X 48 X 4.50	1	
11	Pakki Diggi	Block-3/ Chak 4-SGM	48 X 48 X 4.50	1	
12	Kacchi Diggi	Block-2/ Chak 3-RPM (Pivot)	100 X 100 X 3.50	1	
13	Kacchi Diggi	Block-2/ Chak 33-PBN	50 X 50 X 3.50	1	

I/We agree with all the terms and conditions as laid down by your Corporation.

Place:-
Date:-

Name & Signature of the tenderer with official stamp.

Scanned with OKEN Scanner

25

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला- श्रीगंगानगर (राज.)-335804

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में कच्ची-पक्की डिग्गीयों में मछली पालने और पकड़कर बेचने के कार्य हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें ।

1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित कच्ची-पक्की डिग्गीयों है जिनमें मछली पालने और पकड़कर बेचने के कार्य हेतु ठेके पर दिया जाना है । **ठेके की समयावधि/कार्य-अवधि पार्टी को कार्य आदेश देने के उपरान्त दिनांक 30-06-2027 तक रहेगी ।** ठेके पर देने हेतु कच्ची-पक्की डिग्गीयों का विवरण निम्न प्रकार से हैं ।

सारणी-A

ठेका व डिग्गी न.	डिग्गीयों का प्रकार	खंड का नाम/चक संख्या	डिग्गीयों का आकार (मीटर)	डिग्गीयों की संख्या	धरोहर राशि (ईएमडी) (रुपये में)
1	कच्ची-डिग्गी	खंड-एक /चक 42-STG	250 X 250 X 4.50	01	50,000/-
2	कच्ची-डिग्गी	खंड-दो/चक 4-RPM	100 X 100 X 2.75	01	10,000/-
3	कच्ची-डिग्गी	खंड-दो /चक 4-RPM	100 X 100 X 2.75	01	10,000/-
4	कच्ची-डिग्गी	खंड-दो /चक 3-RPM (पोलीथीन)	100 X 100 X 2.75	01	10,000/-
5	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /EPO- बाग	52 X 42 X 4.50	01	10,000/-
6	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /EPO- बाग	50 X 38 X 3.50	01	10,000/-
7	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /चक 5-SGM	48 X 48 X 4.50	01	10,000/-
8	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /चक 5-SGM	100 X 50 X 4.50	01	10,000/-
9	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /चक 4-SGM	50 X 50 X 4.50	01	10,000/-
10	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /चक 4-SGM	48 X 48 X 4.50	01	10,000/-
11	पक्की-डिग्गी	खंड-तीन /चक 4-SGM	48 X 48 X 4.50	01	10,000/-

सारणी-B

ठेका व डिग्गी न.	डिग्गीयों का प्रकार	खंड का नाम/चक संख्या	डिग्गीयों का आकार (मीटर)	डिग्गीयों की संख्या	धरोहर राशि (ईएमडी) (रुपये में)
12	**कच्ची-डिग्गी**	**खंड-दो /चक 3-RPM (पीवोट डिग्गी)**	**100 X 100 X 3.50**	**01**	**10,000/-**
13	**कच्ची-डिग्गी**	**खंड-दो /चक 33-PBN (मुर्गीखाना)**	**50 X 50 X 3.50**	**01**	**10,000/-**

नोट:-उक्त सारणी-B में वर्णित कच्ची डिग्गी न. 12 व 13 में दर्शाई गई है इनके पूर्व के ठेके की समयावधि क्रमशः दिनांक 31-03-2026 व 16-01-2026 में समाप्त होगी । इसलिए इन डिग्गीयों में कार्य करने के लिये सफल निविदादाता को कार्य आदेश क्रमशः दिनांक 31-03-2026 व 16-01-2026 के बाद ही जारी किया जायेगा, उसके उपरांत ही इन दो डिग्गियों में मछली पालने और पकड़कर बेचने के कार्य हेतु कार्य आदेश जारी किया जायेगा जिसकी समयावधि कार्य आदेश जरी करने की तिथि के उपरांत **दिनांक 30-06-2027** तक ही रहेगी ।

2. ठेके में कच्ची-पक्की डिग्गियो के लिए निविदा शुल्क राशि 590/-रुपये (Non-refundable) व ठेके की कच्ची डिग्गी न.-1 की धरोहर धनराशि (EMD) 50,000/-रुपये (Refundable) (पचास हजार रूपये मात्र) तथा ठेके की कच्ची पक्की डिग्गी न.-2 से डिग्गी न.-13 तक की धरोहर धनराशि (EMD) 10,000/- (Refundable) प्रति कच्ची पक्की डिग्गी के अनुसार एक मुश्त **ऑनलाइन ई-निविदा पोर्टल** पर जमा करनी होगी । सफल निविदादाता की धरोहर धनराशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद में बिना ब्याज के वापस करदी जायेगी ।

3. प्रत्येक निविदादाता को ठेके में भाग लेने से पूर्व सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निर्धारित की गई निविदा फ़ॉर्म राशि एवं धरोहर राशि (ईएमडी) ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी ।

a) **धरोहर राशि (ईएमडी) रुपये 10,000/- प्रत्येक कच्ची पक्की डिग्गी है जोकि ऑनलाइन माध्यम से एक मुश्त जमा करनी होगी।**

b) यदि निविदादाता एक ही कच्ची पक्की डिग्गी की दरें भरना चाहता है तो उस एक ही कच्ची पक्की डिग्गी की धरोहर राशि रुपये 50,000/- या 10,000/- व निविदा फ़ॉर्म राशि जमा करवानी होगी । परंतु यदि निविदादाता एक से अधिक कच्ची पक्की डिग्गी हेतु दरें भरना चाहता है तो उस स्थिति में उतनी ही डिग्गीयों की धरोहर राशि (No. Of Diggi X EMD Amount) एक मुश्त कुल राशि व निविदा फ़ॉर्म राशि जमा करनी होगी ।

c) यदि कोई निविदादाता भरी हुई कच्ची पक्की डिग्गी की कुल धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा ।

d) धरोहर धनराशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी, साथ ही यदि धरोहर धनराशि निश्चित राशि से कम जमा कराई जाती है तो निविदा को निरस्त भी किया जा सकता हैं ।

Scanned with OKEN Scanner

4. निविदादाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
5. कच्ची-पक्की डिग्गीयों में मछली पालने और पकड़कर बेचने के कार्य हेतु ठेके पर दिया जाना है । ठेके की समयावधि/कार्य-अवधि पार्टी को कार्य आदेश देने के उपरान्त दिनांक 30-06-2027 तक रहेगी । अनुबंध (ठेके) की अन्तिम तिथि 30-06-2027 के पश्चात निविदादाता (ठेकेदार) का सम्बन्धित कच्ची-पक्की डिग्गीयों पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा ।
6. सफल निविदादाता को स्वीकृत दर का 50 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी और 50 प्रतिशत राशि अगले 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी । सफल निविदादाताओं द्वारा स्वीकृत दर की राशि जमा करने के बाद अन्य असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि (EMD) लौंटाई जायेगी ।
7. सफल निविदादाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत कि दर से प्रतिभुति राशि (SD) 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि अनुबंध (ठेका) समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी ।
8. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध (ठेका) किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।
9. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
10. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं फैक्स, पत्र और ईमेल मान्य नहीं होगा ।
11. निविदादाता दुवारा मछली पालने, पकड़कर बेचने और रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जायेगे उनकी सूचि व नाम-पत्ता के साथ इस कार्यालय को देनी होगी । इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा-पत्र जारी किया जायेगा । सामयिक आज्ञा-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा ।
12. फार्म की कच्ची-पक्की डिग्गीयों में मछली का बीज डालने, पालन-पोषण और उनकी देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यो की जिम्मेदारी स्वंय निविदादाता/ठेकेदार की होगी ।
13. निविदादाता द्वारा निविदा में ली गई कच्ची-पक्की डिग्गीयों में मछली का बीज डालने हेतु फार्म में स्थित फिश-हैचरी से भी मछली बीज खरीद कर डाला जा सकता हैं ।
14. निविदादाता को केवल अनुबंध (ठेके) पर दी गई डिग्गीयों से ही मछली पालने व पकड़कर बेचने का अधिकार होगा । फार्म में अन्यत्र, असम्बन्धित गतिविधियों, कार्य-कलापों में व्यवधान व हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालना, या कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधनों का अनाधिकृत रूप से प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा । यदि ठेकेदार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म के सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा । अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है, इस दिशा में ठेकेदार की समस्त जमा धनराशी व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
15. यदि मछली पालने व पकड़कर बेचने पर कोई टैक्स, चुंगी या कोई भी अन्य कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबंध या भुगतान ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा ।
16. डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतय: डिग्गीयों में संचित पानी में से ऊपर से लगभग 5 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जाता रहेगा । शेष बचा हुआ पानी 5 फीट स्तर तक डिग्गियों में पानी मछली उत्पादन के लिये बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गियो में पानी का स्तर यदि 5 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । ठेकेदार स्वंय अपने माध्यम से ठेके पर दी गयी डिग्गियों में उचित पानी की व्यवस्था कर सकता है ।
17. ठेकेदार को ठेके पर दिये गये डिग्गियों (जलाशयों) में पानी की सतह कम या अधिक होने अथवा सूख जाने के कारण डिग्गियों में मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी भी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने बाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा ।
18. डिग्गियों में मछली बीज संग्रहण, मछली पालने व मछली पकड़कर फार्म से बाहर लेकर जाना इत्यादी सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होगें । रात्रि में केवल मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही स्वीकार किया जा सकता है ।
19. किसी भी वाहन द्वारा डिग्गियों से मछली की ढुलाई करके फार्म से बाहर लेकर जाने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास होना अनिवार्य होगा ।
20. डिग्गियों से मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था तथा उन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार स्वंय को करना होगा ।
21. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल-अचल सम्पति और फसलों को किसी प्रकार का नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका भी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत रद्द भी किया जा सकता हैं ।

Scanned with OKEN Scanner

22. ठेकेदार को मत्स्यिकी विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953, व 1958 और समय-समय पर संशोधित नियमो के अन्तरगत बनायी गयी सभी धाराओ व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

23. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का का कार्य निषेध है। ऐसा करने पर ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगें।

24. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तो की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

25. निविदादाता द्वारा अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पत्ते के अभाव में यदि कोई पत्र और सूचना आदि निविदादाता के पास नहीं पहुँचती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी, इस प्रकार के स्थिति में पूर्णतया जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

26. फार्म के सक्षम अधिकारी को निविदा व निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी ठेकेदार ठेके की नियम व शर्तो का पालन नहीं करता हैं, तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की नियम व शर्तो के अनुसार ठेकेदार का ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निशिचत अवधि के लिये काली-सूचि (ब्लैक-लिस्ट) में डाल कर निगम के फार्मो पर ठेके लेने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

28. यदि ठेकेदार द्वारा विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिये ब्याज सहित पूर्ण धनराशि जमा करने का सयम होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा नहीं करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

29. सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझोता/अग्रीमेंट (Agreement) रूपये 500/- के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर जो कि ठेकेदार द्वारा ख़रीदा जायेगा जो ठेका प्राप्त होने की तिथि से 10 दिवस (Ten Day) के अन्दर जमा करना होगा।

30. निविदा (टेंडर) में दिए गये नियम एवं शर्तें तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य हैं एवं स्वमान्य होगें, जो की निविदादाता अर्थात् ठेकेदार को मानने होंगें।

31. यह अनुबंध दोनों पार्टियों के बीच अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता कार्य की समय अवधि के अनुसार मान्य होगी।

32. यदि किसी भी नियम एवं शर्तें या मामले के कारण राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमती से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक नई दिल्ली इस मुद्दें को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगें और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगें। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेज़ी भाषा में आयोजित की जाएगीं। न्याय के लिए क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगी।

घोषणा:-

मैंने केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में कच्ची-पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व पकड़कर बेचने के अनुबंध की निविदा व सह-निलामी की नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी नियम एवं शर्तें मुझें मान्य हैं, तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं, तथा यह नियम एवं शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पत्ता..............................

....

....

स्थान:-.......................

दिनांक:-.......................